

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2015 प्र.सूरि.स 4 दिनांक 19.1.15

2.अधिनियम पी.सी एक्ट धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एवं धाराएं - - - - -

(क) घटना का दिन सोमवार दिनांक से दिनांक 19.1.15

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 19.1.2015 समय 3.15 पी.एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 9 समय 3.20 पी.एम

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थान का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एवं दूरी) जानिब दक्षिण लगभग 3 कि०मी०

(ख) पता : मिन्नी सैक्टियेट गुडगांव।

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) सिटी गुडगांव।

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :-

(क) नाम : अवधेश कुमार (ख) (पिता/पति का नाम) श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ङ) पासपोर्ट सं०

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) Lision officer (पता) अवधेश गुप्ता सपुत्र श्री नरेन्द्र कुमार निवासी म.न. ई-52, 11 फलोर साउथ सिटी-11 गुडगांव।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. अजमेर सिंह देशवाल

Dy Director Labour Deptt,
गुडगांव।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी जगदीश चन्द्र थाना/एस.वी.बी/गुडगांव बदस्त उप नि. इन्द्रजीत सिंह बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विषय इस प्रकार से है, सेवा में, आई.जी साहब विजिलैस गुडगांव, श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं अवधेश गुप्ता सपुत्र श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी म.न. ई-52, 11 फलोर साउथ सिटी-11 गुडगांव का स्थाई निवासी हूँ व कैम्प साईट कम्पनी में बतौर Lision officer कार्यरत हूँ जो हमारी कम्पनी का Constraction का कार्य जो

कि सैक्टर 104 गुडगांव में लगातार चल रहा है। जो हमारी लेबर लाईसैस की प्रमीशन लेबर डिपार्टमेंट से लेनी होती है। जो जिला गुडगांव में तैनात अजमेर सिंह देशवाल डिप्टी डायरेक्टर लेबर विभाग ने करीब चार/पांच महीने के दौरान हमारी निर्माणधीन साईट पर दो बार visit करके मुझ से निर्माण रूकवाने सम्बन्धी नोटिस जारी करने की धमकी देकर बार-बार मेरे से 1, 1/2 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा है। जिससे मैंने काफी विनती के बाद भी वह नहीं मान रहा है, जो शुक्रवार दिनांक 16.01.2015 को मैंने जब बात की तो उपरोक्त रिश्वत बारे में आज सोमवार 19.1.2015 को कम से कम पचास हजार रुपये बतौर टोकन देने के लिए बुलाया है, मेरी जिससे कोई निजि दुश्मनी या लेन-देन नहीं है। मैं रिश्वत नहीं देना चाहता उपरोक्त रिश्वत खोर के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। हस्ता : अग्रेंजी अवधेश गुप्ता सपुत्र नरेन्द्र कुमार गुप्ता दिनांक 19.01.2015 मौ0 न0 9910347111 कार्यवाही पुलिस :- आज मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय एस.वी.बी/गुडगांव हूँ कि मुदई अवधेश गुप्ता उपरोक्त में मुलाकी होकर एक लिखित दरखास्त मार्क सुदा IGP/SVB/GGN साहब मन निरीक्षक को पेश की जो मजबून दरखास्त से सुरत जुर्म जेर धारा 7 पी.सी एक्ट का सरजद होना पाया जाने पर मन निरीक्षक ने एक रेडिंग पार्टी जिसमें एस.आई सुभाष चन्द, ए.एस.आई नरेश कुमार, ए.एस.आई भूपेन्द्र सिंह, इ.ए.एस.आई हरपाल को शामिल करके तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त एस.आई इन्द्रजीत सिंह के थाना भेजी जा रही है, बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सुचित करके स्पैशल रिपोर्ट बजरिया स्पैशल मैसेजर ईलका मजिस्ट्रेट एवं अफसरान बाला को भिजवाई जावे। मन निरीक्षक मय मुदई मय तफतीशी बेग मय रैडिंग पार्टी बराये लेने अनुमति रैड व नियुक्त ड्यूटी मैजिस्ट्रेट एवं छांया गवाह बा स्वारी गाडी सरकारी एच.आर 03के-1781 चालक ई.एच.सी रामानन्द के रवाना उपायुक्त कार्यालय गुडगांव का होता हूँ। हस्ता : अग्रेंजी जगदीश चन्द्र निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव मण्डल गुडगांव दिनांक 19.01.15 एट 3.15 अज थाना :- आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। एफ.आई.आर की पांच प्रतिया बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में अफसरान बाला भेजी जाएगी, एक पर्त एफ.आई.आर बतौर स्पैशल रिपोर्ट बजरिया स्पैशल मैसेजर आरिन्दा एस.आई इन्द्रजीत सिंह सेवा में ईलाका मजिस्ट्रेट साहब गुडगांव व अफसरान बाला को भिजवाई जा रही है। असल मिसल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर I/O को पहुंचाने हेतु इसी आरिन्दा एस.आई के हवाले की गई।

हस्ता अग्रेंजी/- देवेन्द्र सिंह
थाना प्रभारी का नाम
नाम : देवेन्द्र सिंह
पद : निरीक्षक
सख्यां : आर.आर/57
दिनांक 19.01.2015 समय 5.00 पी.एम